भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2236

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आप्रवासन एजेंटों का विनियमन

2236. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित देशभर में फर्जी आप्रवासन एजेंटों तथा धोखाधड़ी करने वाले विदेशी रोजगार/वीजा परामर्शदाताओं द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार एवं वर्ष–वार संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) अनधिकृत एजेंटों की पहचान करने, उन्हें काली सूची में डालने तथा उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए उठाए गए कदमों और उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई तथा राज्य पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के साथ किया गया समन्वय क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जन–जागरूकता, शिकायत निवारण तथा रोकथाम तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) विदेश में रोजगार के लिए भर्ती व्यवसाय में संलग्न होने के लिए भारत में भर्ती एजेंसियों (आरए) को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी पंजीकरण प्राधिकरण, यानी उत्प्रवासी संरक्षक महानिदेशक (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के बिना आरए के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। आरए के अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य विदेश में रोजगार चाहने वाले भावी भारतीय उत्प्रवासियों की धोखाधड़ी और शोषण को रोकना है।

आरसी धारकों को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों और उत्प्रवास नियम, 1983 की धारा 10 में निर्धारित पंजीकरण प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है, जो उत्प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा पर केंद्रित हैं। उत्प्रवास अधिनियम/नियम, 1983 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पंजीकृत आरए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।

आरसी जारी करने का कार्य केवल ई–माइग्रेट पोर्टल (https://emigrate.gov.in) के माध्यम से किया जाता है, जिसका रखरखाव विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में सभी पंजीकृत आरए की सूची ई–माइग्रेट पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। गैर–पंजीकृत एजेंटों, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, की सूची भी भावी उत्प्रवासियों को सावधान करने के लिए ई–माइग्रेट पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। आज की तिथि तक ई–माइग्रेट पोर्टल पर ऐसे कुल 3,505 गैर–पंजीकृत एजेंटों को अधिसूचित किया गया है।

धोखाधड़ी वाली भर्ती गतिविधियों में शामिल अनधिकृत एजेंटों और भारतीय नागरिकों को ठगने की घटनाओं पर तब संज्ञान लिया जाता है जब ऐसी घटनाएं भारत सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं। जब भी आंध्र प्रदेश राज्य सहित अनधिकृत एजेंटों द्वारा अवैध भर्ती गतिविधियों की शिकायतें विदेश मंत्रालय में प्राप्त होती हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और लागू अन्य विधानों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस को संदर्भित कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सहित

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अवैध भर्ती गतिविधियों की शिकायतों और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का डेटा **अनुबंध–I** में दिया गया है। ई–माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत अनधिकृत एजेंटों के खिलाफ शिकायतों का डेटा **अनुबंध–II** में दिया गया है।

फर्जी नौकरी रैकेट के खतरों और अनधिकृत आरए के माध्यम से अवैध उत्प्रवास को रोकने के उपायों के बारे में ई–माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और अन्य माध्यमों से परामर्श जारी किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय, आंध्र प्रदेश में स्थित पीओई कार्यालय सहित पूरे भारत में 17 उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालयों के माध्यम से मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और आम जनता के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण/सूचना सत्रों, डिजिटल अभियानों का आयोजन करके सुरक्षित और कानूनी आवाजाही पर जागरूकता अभियान भी चलाता है। विदेश मंत्रालय फर्जी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अवैध भर्ती गतिविधियों के मुद्दों पर राज्य नोडल एजेंसियों के साथ भी समन्वय करता है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए, स्थापित चैनल मौजूद हैं जो उन्हें सहायता के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क करने में सक्षम बनाते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से जाकर, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मदद /सीपीजीआरएएमएस /ई–माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय श्रमिकों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, जेद्दा, कुआलालंपुर, लंदन और रियाद सहित प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय मिशन/केंद्र कोंसली सेवाएं प्रदान करने और किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न शहरों में ओपन हाउस और **कोंसली** कैंप आयोजित करते हैं। अधिकांश खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों में समर्पित श्रम विंग (लेबर विंग्स) हैं जो संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ उत्प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों को सक्रिय रूप से उठाते हैं, पीड़ित श्रमिक के कार्यस्थल का निरीक्षण करते हैं और जहां आवश्यक हो, स्थानीय श्रम विभाग और अन्य मेजबान देश के अधिकारियों के साथ मामला उठाते हैं।

अनुबंध I

अवैध भर्ती गतिविधियों की शिकायतों और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित डेटा [2023 – 2025]

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शिकायतों की संख्या			राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत एटीआर			जांच के बाद प्रॉसिक्यूशन मंज़ूरी जारी करने के लिए रिक्वेस्ट मिलने वाले मामलों की संख्या			जारी किए गए अभियोजन प्रतिबंधों की संख्या		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	**अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	445	602	448	5	11	19	1	0	0	1	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	6	5	1	1(एफआ	1(एफआ	1(एफआ	0	0	0	0	0	0

					ईआर दर्ज)	ईआर दर्ज)	ईआर दर्ज)						
6.	चंडीगढ़	3	9	80	0	0	34 (3 एफआईआर)	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	4	92	153	0	0	17 एटीआर 17 एफआईआर	0	11	13	0	11	13
10.	गोवा	5	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	2	9	12	1	1	0	0	1	0	0	0	1
12.	हरयाणा	4	2	33	0	0	09	0	1	0	0	1	0

							एटीआर 0 एफआई आर + 5 एटीआर +1 एफआई आर						
13.	हिमाचल प्रदेश	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0
15.	झारखंड	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	कर्नाटक	32	33	61	6	8	0	3	0	1	3	0	1
17.	**केरल**	110	277	238	87 (एफआई आर दर्ज)	197 (**एफआई आर पंजीकृत**)	158	7	15	0	7	1	14

18.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	6	14	22	1	1	1	0	1	0	0	1	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	2	0	4	1	0	3 FIR दर्ज	0	1	0	0	0	1
25.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	0	5	7	0	2 (एफआईआर दर्ज)	1 (एफआईआर पंजीकृत)	0	0	0	0	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	पंजाब	56	18	80	0	38(एफआईआर पंजीकृत)	69	0	0	0	0	0	0
29.	राजस्थान	35	87	97	0	0	4	2	0	0	2	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	152	106	99	7	64	52	1	0	0	1	0	0
32.	तेलंगाना	132	96	111	35	17	47	0	0	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	उत्तराखंड	0	5	5	0	0	0 एटीआर 0 एफआईआर	0	0	0	0	0	0
35.	उत्तर प्रदेश	0	6	31	0	0	08 एटीआर 03	0	0	0	0	0	0

							एफआईआर						
36.	पश्चिम बंगाल	5	10	35	2	2	12	0	0	0	0	0	0

अनुबंध– II

पिछले पांच वर्षों के दौरान ई माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत अनधिकृत एजेंटों के खिलाफ शिकायतों का डेटा

वर्ष	कुल प्राप्त जी आर	हल किए गए कुल जी आर
2021	70	27
2022	189	98
2023	84	43
2024	120	67
2025	321	224
कुल	**784**	**459**
